

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (0-62) अलेसे-1/ 351

दिनांक:- 07/06/2017

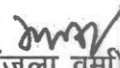
कार्यालय आदेश

पूर्व विभागीय आदेश संख्या 67/2014-15 दिनांक 03.09.2014 के द्वारा श्री ओमप्रकाश माली की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में जारी विभागीय आदेश संख्या 25/2014-15 दिनांक 20.06.2014 को निरस्त करते हुए श्री माली के विरुद्ध अपराध संख्या 5/10 अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 323 भा.द.स. में सिविल न्यायाधीश(क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 बीकानेर में विचाराधीन होने का उल्लेख किया गया था। श्री माली अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर दिनांक 31.10.2014 को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 05.12.2016 के संदर्भ में प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि श्री ओमप्रकाश माली द्वारा राजकीय सेवा एवं राजकार्य के निष्पादन के दौरान किये गये कार्य/कृत्य के संबंध में विभाग द्वारा कोई अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

अतः वित्त (नियम) विभाग के उपरोक्त परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का निस्तारण करते हुए श्री ओमप्रकाश माली, तत्कालीन उपकोषाधिकारी, नोखा (बीकानेर) के विरुद्ध यह प्रमाणित किया जाता है कि आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहीयों विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (0-62) अलेसे-1/ 351

दिनांक:- 07/06/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर।
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बीकानेर।
3. श्री ओमप्रकाश माली, सेवानिवृत्त उपकोषाधिकारी, नोखा (बीकानेर), आयुर्वेद औषधालय के पास, नत्थूसर बास, बीकानेर।
- ✓ 4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)